राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–01 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री कुमार अर्जुन प्रसाद, ग्राम–रूकनपुर, पोस्ट–गुरारू जिला–गया, बिहार

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
08.04.2022	श्री कुमार अर्जुन प्रसाद, ग्राम–रूकनपुर, पोस्ट–गुरारू जिला–गया, बिहार के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–31.03.2022 इस कार्यालय में दिनांक–04.04.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता श्री कुमार अर्जुन प्रसाद ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–02.02.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना/निर्णय प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–02.02.2022 की प्रति भी संलग्न की है। बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–3 (परिशिष्ट–1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में ₹ 10/– (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है। अतः अपीलार्थी से अपील शुल्क अथवा गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का साक्ष्य की मॉग करें ताकि उनका अपील आवेदन स्वीकृत कर अग्रतर कार्रवाई की जा सके। सभी संबंधित को सूचित करें तथा अभिलेख पुनः 18.04.2022 को उपस्थापित करें। 8/4/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या–01 / 2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
18.04.2022 27.04.2022	अपीलार्थी श्री कुमार अर्जुन प्रसाद, ग्राम–रूकनपुर, पोस्ट–गुरारू जिला–गया, बिहार से अपील शुल्क के रूप में 10 / –रू॰ की मॉग की गई थी, जो शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–58F 934722 दिनांक–अस्पष्ट है, संलग्न कर भेजा है, जो इस सचिवालय में दिनांक–21.04.2022 को प्राप्त हुआ। इसे अग्रतर कार्रवाई हेतु लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी श्री कुमार अर्जुन प्रसाद का प्रथम अपील आवेदन 31.03.2022 इस कार्यालय में दिनांक–04.04.2022 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी अपने प्रपत्र 'क' दिनांक–02.02.2022 के माध्यम से सूचना की मॉग की गई थी। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–02.02.2022 के आलोक में की गई कार्रवाई से संबंधित अभिलेख / कागजात / प्रतिवेदन की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु 06.05.2022 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार

अपील वाद संख्या–01 / 2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
06.05.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–आर॰टी॰आई॰ / विविध–62 / 2021–30 / रा॰स॰(I) दिनांक–08.02.2022 के माध्यम से उनके प्रपत्र 'क' दिनांक–02.02.2022 को सूचना शिक्षा विभाग से संबंधित होने के कारण लोक सूचना पदाधिकारी, शिक्षा विभाग को प्रपत्र 'ड़' में हस्तांतरित किया है तथा इसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी श्री प्रसाद को भेजा है। विदित हो कि अपीलकर्त्ता श्री कुमार अर्जुन प्रसाद ने लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपील दायर किया था। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जबकि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उनके सूचना संबंधी आवेदन को शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है, तब प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 6/5/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या--01/2022--23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
06.05.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी ने अपने पत्रांक--आर॰टी॰आई॰ /विविध--62/2021--30/रा॰स॰(I) दिनांक--08.02.2022 के माध्यम से उनके प्रपत्र 'क' दिनांक--02.02.2022 को सूचना शिक्षा विभाग से संबंधित होने के कारण लोक सूचना पदाधिकारी, शिक्षा विभाग को प्रपत्र 'ड़' में हस्तांतरित किया है तथा इसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी श्री प्रसाद को भेजा है। विदित हो कि अपीलकर्त्ता श्री कुमार अर्जुन प्रसाद ने लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपील दायर किया था। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जबकि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उनके सूचना संबंधी आवेदन को शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है, तब प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। (हस्ताक्षर) 6/5/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी --सह-- प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक-- 567/रा०स०(iii) दिनांक--..................

प्रतिलिपि-- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/ श्री कुमार अर्जुन प्रसाद, ग्राम--रूकनपुर, पोस्ट--गुरारू जिला--गया, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 6/5/2022

विशेष कार्य पदाधिकारी